

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 756वी बैठक दिनांक 17.11.2022
का कार्यवाही विवरण**

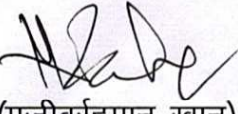
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 756वी बैठक दिनांक 17.11.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

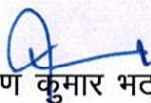
बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, खंडवा - (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
2.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, शाजापुर - (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
3.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) - जिला छिंदवाड़ा			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
4.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्योपुर (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
5.	9349 / 2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9354 / 2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
7.	9355 / 2022	1(a)	पत्थर व एम-सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
8.	9357 / 2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9358 / 2022	1(a)	पत्थर व एम-सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
10.	8884 / 2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	निरस्त
11.	9298 / 2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
12.	8634 / 2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
13.	9342 / 2022	1(a)	रेत खदान	For ToR	ToR स्वीकृत


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 756वी बैठक दिनांक 17.11.2022
का कार्यवाही विवरण**

14.	9343 / 2022	1(a)	रेत खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
15.	9344 / 2022	1(a)	पत्थर व मुरुम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
16.	9347 / 2022	1(a)	पत्थर व मुरुम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
17.	9345 / 2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
18.	9346 / 2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
19.	9348 / 2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
20.	9359 / 2022	1(a)	पत्थर व एम-सेण्ड खदान	For ToR	निरस्त

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, खंडवा – (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वीं बैठक दिनांक 18.10.2022 में खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

“..... खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला खंडवा के पत्र क्र 809/खनिज/2022 दिनांक 10/10/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज-रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।”

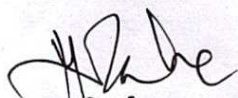
राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 600वीं बैठक दिनांक 18.10.2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

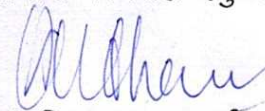
तदनुसार जिला कलेक्टर, खंडवा को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, शाजापुर – (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वीं बैठक दिनांक 18.10.2022 में शाजापुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

“.....अतः समिति शाजापुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।”

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 597वीं बैठक दिनांक 06/10/2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए शाजापुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदनुसार जिला कलेक्टर, शाजापुर को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वीं बैठक दिनांक 18.10.2022 में छिंदवाड़ा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

- कार्यालय के 1307 दिनांक 10/10/2022 के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के एनेक्जर-XIV (पेज नं. 44 एवं 45) पेंच नदी (सरल नं.-18) पर स्थित पटनिया ग्राम की लीज में पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत की मात्रा 15,000 घनमी. रेत की उपलब्धता अंकित है वहीं दूसरी इसी रिपोर्ट के एनेक्जर-3 (पेज नं. 76 से 78) में सरल क. 11 में पेंच नदी पर स्थित पटनिया 1,08,108 घनमीटर दर्शाया गई थी, जिसके संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाना आवश्यक है।
- इसी प्रकार सरल क. 14 के ग्राम राजाखोह में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत की मात्रा 8169.6 घनमीटर अंकित है वहीं दूसरी ओर इसी रिपोर्ट के एनेक्जर-14 में इसी खदान की रेत की मात्रा 9,856 घनमीटर अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत आंकड़ों में कुछ अंतर परिलक्षित हो रहा है, जिसका सुधार आवश्यक है।

अतः चर्चा उपरांत समिति का अभिमत है कि अतः जिला खनिज अधिकारी स्पष्ट करें कि गणना में इतना अंतर क्यों आ रहा है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 600वीं बैठक दिनांक 18.10.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा को सूचित किया जाये कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फॉर्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें। तदनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्योपुर (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वीं बैठक दिनांक 18.10.2022 में श्योपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर -09 (पेज न0. 15-22) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे गई है।
- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी में नहीं दी गई है
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 31-32 में जो मेटर दिया गया है वह स्पष्ट पढ़ने में नहीं आ रहा है। इन पेजों में Text आपस में मिल रहा है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि श्योपुर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एवं रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 601वीं बैठक दिनांक 19.10.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर श्योपुर को सूचित किया जाये कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें। तदनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 9349/2022 — परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुमित्रा चौकसे, निवासी लीलाटोला, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 7, ग्राम सिंधपुर रैयत, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 756वीं बैठक दिनांक 17.11.2022
का कार्यवाही विवरण**

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	940
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	करंज, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	60
3	ग्राम के स्टॉप डैम में	नीम, सीताफल, करंज अन्य स्थानीय प्रजातिया	150
4.	विद्यालय	मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम, नीम अन्य स्थानीय प्रजातिया	50
कुल			1200

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम सिंधपुर रैयत के साप्ताहिक बाजार में अधोसंरचना विकास कार्य किया जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

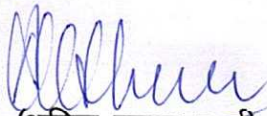
साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुमित्रा चौकसे, निवासी लीलाटोला, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 7, ग्राम सिंधपुर रैयत, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के आदेश क्र. 393 दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.09.2032 तक मान्य रहेगी।

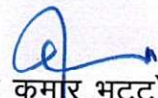
6. प्रकरण क्र. 9354/2022 — परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रमा सिंह पत्नी श्री विक्रम सिंह, निवासी ग्राम उत्तर करौदिया, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 5130 घनमीटर प्रतिवर्ष से 39999 घनमीटर प्रतिवर्ष,



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 267, ग्राम अमहवा, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

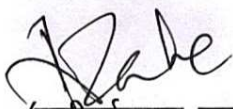
1. उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन क्षेत्र में 15 पेड़ लगे हैं, जिसमें से 10 पेड़ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटे जायेंगे एवं उसके एवज में 100 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।

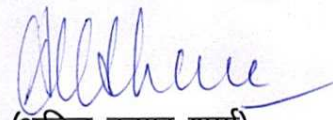
परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

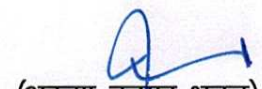
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु कार्ययोजना तैयार कर 15 दिवस में प्रस्तुत की जाये। इस कार्ययोजना में विशेष रूप से जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही एवं ऐसे अन्य पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही बावत् प्रस्ताव का समावेश किया जाये।
3. पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के अनुपालन प्रतिवेदन पर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत दी गई अनुशंसाओं के अनुरूप विशेष रूप से आंशिक परिपालन (Partially Complied) एवं Not complied शर्तों का परिपालन एक निश्चित समय-सीमा में सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्ययोजना भी प्रस्तुत करें।

उपरोक्त निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस की समयावधि में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर वांछित जानकारी प्रस्तुत की जाये। तदुपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

7. प्रकरण क्र. 9355/2022 — परियोजना प्रस्तावक श्रीमती समता गुप्ता पत्नी श्री मनीष गुप्ता, निवासी सदर बाजार, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)-465447 द्वारा पत्थर व एम-सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5000 व एम-सेण्ड 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 1326/4, ग्राम सोयतकला, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 756वी बैठक दिनांक 17.11.2022
का कार्यवाही विवरण**

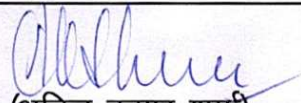
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

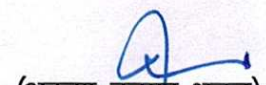
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आवला, खमेर, , नीम, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	जंगल जलेबी, पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ट्री-गार्ड के साथ	300
3	ग्राम सोयतकलां के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र परिसर में	नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज, आवला एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	50
4	ग्राम सोयतकलां के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	100


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 756वी बैठक दिनांक 17.11.2022
का कार्यवाही विवरण**

5	ग्राम सोयतकलां के कृषि उपज मंडी परिसर में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	200
6	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	अमरुद, आमला, अनार, इमली, सीताफल, आम, कटहल, निम्बू, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2030
			3480

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम सोयतकलां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ अधिकारी के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण प्रदान किये जावेंगे।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती समता गुप्ता पत्नी श्री मनीष गुप्ता, निवासी सदर बाजार, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)-465447 द्वारा पत्थर व एम-सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5000 वं एम-सेण्ड 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 1326/4, ग्राम सोयतकला, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर-मालवा का आदेश क्र. 1488 दिनांक 14.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.03.2032 तक मान्य रहेगी।

8. प्रकरण क्र. 9357/2022 — परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.के.सी. इन्फ्रास्ट्रचर लि. अधिकृत व्यक्ति श्री धमेन्द्र मेहता, निवासी शिव नगर, अंजार, कच्छ-गुजरात द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.70 हेक्टेयर, खसरा 57/1, ग्राम अंत्रालिया, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

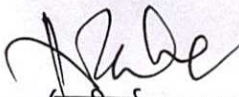
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 756वी बैठक दिनांक 17.11.2022
का कार्यवाही विवरण**

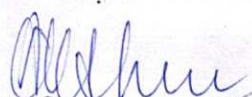
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

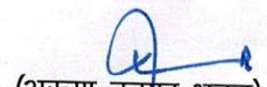
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सरफेस ड्रेन से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (ii) खदान के पश्चिम भाग में लगभग 380 मीटर की दूरी पर जल रोकने की संरचना स्थित है अतः खदान से निकलने वाले दूषित जल का निस्तारण जल संरचना में ना किया जाये एवं इस संरचना के संरक्षण हेतु समुचित उपाय किये जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, करंज आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ।	500
2	परिवहन मार्ग में	पीपल, करंज, बरगद, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ट्री-गार्ड के साथ	600
3	ग्राम अंत्रालिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, आवला करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	40
4	खदान में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	500


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 756वी बैठक दिनांक 17.11.2022
का कार्यवाही विवरण**

5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया	4000
कुल			5640

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम अंत्रालिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण प्रदान किये जाये।
- आवेदित क्षेत्र के पश्चिमी दिशा में 380 मीटर स्थित चेक डैम के आस पास पौधरोपण किया जाये एवं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

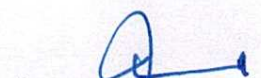
साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.के.सी. इन्फ्रास्ट्रचर लि. अधिकृत व्यक्ति श्री धमेन्द्र मेहता, निवासी शिव नगर अजार, कच्छ-गुजरात द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.70 हेक्टेयर, खसरा 57/1, ग्राम अंत्रालिया, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्र. 1743 दिनांक 03.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा (03.08.2022 से 02.08.2024) हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.08.2024 तक मान्य रहेगी।

9. प्रकरण क्र. 9358/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री आयुष जैन आत्मज श्री अशोक कुमार जैन, निवासी हाटपुरा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम-सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10,000 व एम-सेण्ड 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 92, ग्राम बडगौन, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

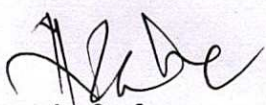

(अनिल. कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

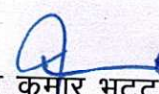
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मृदा एवं जल संरक्षण संरचना से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद जीवित वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका समुचित रखरखाव किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र 3.00 हेक्टेयर में से 1.80 हेक्टेयर क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये एवं SEAC द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार शेष खनन क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में छोड़कर चारागाह विकसित किया जाये, जिसमें 5-5 मीटर की दूरी पर फोडर पौधों लगाये जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 756वी बैठक दिनांक 17.11.2022
का कार्यवाही विवरण**

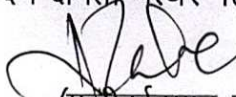
कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ट्री-गार्ड के साथ	500
3	ग्राम बड़गौन के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र परिसर में	आवला, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	60
4	ग्राम झलारा के मुक्ति धाम परिसर में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, बरगद, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	150
5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	संतरा, आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1920
कुल			3630

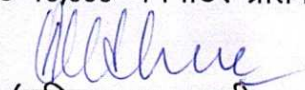
(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम बड़गौन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ अधिकारी के परामर्श से केंद्र में जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण प्रदान किये जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री आयुष जैन आत्मज श्री अशोक कुमार जैन, निवासी हाटपुरा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र) द्वारा पत्थर व एम-सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10,000 व एम-सेण्ड 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 92,


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ग्राम बडगौन, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर-मालवा का आदेश क्र. 1490 दिनांक 14.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान हेतु 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.03.2032 तक मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्र. 8884/2021 — परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज नागर आत्मज श्री भागीरथ नागर, निवासी बोरदीकला, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 356/3/1, ग्राम बोरदीकला, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

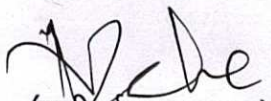
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

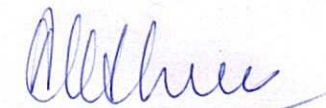
परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान से उत्तर दिशा में 135 मीटर पर आबादी एवं पूर्व दिशा में 20 मीटर पर कच्चा रोड़ परिलक्षित हो रहा है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) जिसके परिपालन में आबादी से 200 मीटर एवं कच्ची सड़क से 50 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

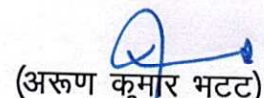
11. प्रकरण क्र. 9298/2022 — परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश नागर, निवासी हिरण्या, वार्ड नं. 09, अब्दुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 33,345 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा 14/1, ग्राम जमुनिया विरन, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 600वी बैठक दिनांक 18.10.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

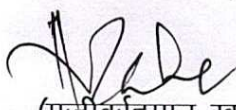

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

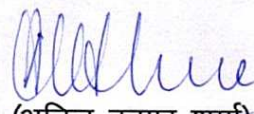

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

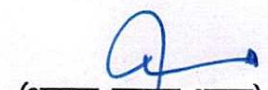
- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (ii) रायसेन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सागौन, खमेर, नीलगिरी सुबबूल बांस व अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	800
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज ट्री-गार्ड के साथ व अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	400
3	जमुनिया-वीरान स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक व अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	300
4	जमुनिया-वीरान एवं चपला सर के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम व अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1500
कुल			3000

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - ग्राम जमुनिया वीरान के शासकीय प्राथमिक स्कूल छात्रों के डिजिटल अध्ययन हेतु (02 प्रोजेक्टर) प्रदान किया जायें।
 - ग्राम जमुनिया वीरान के शासकीय प्राथमिक स्कूल के छात्रों को स्कूली जूते/मोजे (छात्रों को 246) प्रदान किया जायें।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश नागर, निवासी हिरण्या, वार्ड नं. 09, अब्दुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 33,345 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा 14/1, ग्राम जमुनिया विरन, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्र. 1136 दिनांक 02.12.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.12.2031 तक मान्य रहेगी।

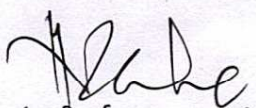
12. प्रकरण क्र. 8634/2021 — परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रॉक फिलर, ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम मुलहाडा, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 21.10 हेक्टेयर, खसरा 201/1, ग्राम मुलहाडा, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

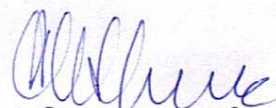
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 601वी बैठक दिनांक 19.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

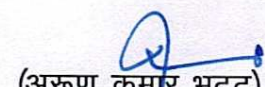
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन क्षेत्र में 32 पेड़ लगे हैं, जिसमें से 23 पेड़ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटे जायेंगे एवं उसके एवज में 230 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।

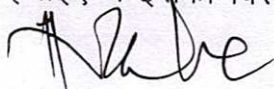
परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।

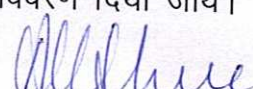

(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. प्रकरण क्र. 9342/2022 — परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज़, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी — 9-ए पैरामाउंट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर, खसरा 39, ग्राम मवईघाट-2, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।
- प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 601वी बैठक दिनांक 19.10.2022 द्वारा मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
 - II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
 - III. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सरपेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
 - IV. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
 - V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
 - VI. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
 - VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
 - VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेंट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

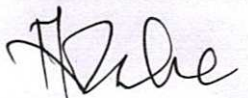
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।
- X. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में रेत खदानों के क्लस्टर Situation से संबंधित दिशा निर्देश प्रावधानित किये गये हैं जिसमें क्लस्टर की दूरी, उसका एरिया, तथा अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है जिसका परिपालन आवश्यक है। अतः ईआईए में उक्त प्रावधानों का समुचित अध्ययन कर और यदि आवश्यक हो तो प्रावधानासुर आवश्यक संशोधन कर ईआईए में इसका विस्तृत उल्लेख किया जाये। SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति देने पर विचार करते समय उक्त गाइडलाईन के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

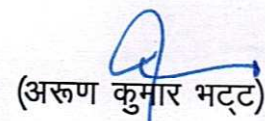
14. प्रकरण क्र. 9343/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी – 9-ए पैरामाउंट विला, नियर अंशाल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम करारागंज, तहसील नवगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 601वी बैठक दिनांक 19.10.2022 द्वारा मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- III. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- IV. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

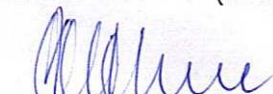
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- VI. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए ।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू हैं की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें ।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये ।
- X. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में रेत खदानों के क्लस्टर Situation से संबंधित दिशा निर्देश प्रावधानित किये गये हैं जिसमें क्लस्टर की दूरी, उसका एरिया, तथा अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है जिसका परिपालन आवश्यक है। अतः ईआईए में उक्त प्रावधानों का समुचित अध्ययन कर और यदि आवश्यक हो तो प्रावधानासुर आवश्यक संशोधन कर ईआईए में इसका विस्तृत उल्लेख किया जाये। SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति देने पर विचार करते समय उक्त गाइडलाइन के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 9344/2022 — परियोजना प्रस्तावक एम.के.एस. इंजीनियरिंग कंपनी, प्रा.लि., निवासी 01, नमक कोठी, नार्थ सिविल लाईनस, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 24997 व मुरुम 8384 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 03 भाग, ग्राम घुटिया, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 601वी बैठक दिनांक 19.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को

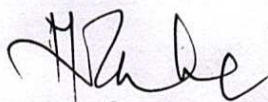

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

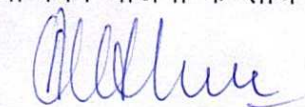

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।
- VIII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

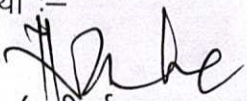

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार करना चाहिए।
- XIII. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेंट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र से ग्रामवासियों के आवागमन हेतु उपलब्ध मार्ग के वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन से समन्वय कर खदान क्षेत्र के बाहर नियमानुसार दूरी पर नवीन मार्ग निर्माण हेतु विस्तृत योजना ईआईए में सम्मिलित की जाये।

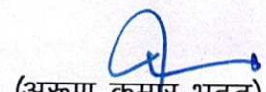
परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 9347/2022 – परियोजना प्रस्तावक एम.के.एस. इंजीनियरिंग कंपनी, प्रा.लि., निवासी 01, नमक कोठी, नार्थ सिविल लाईनस, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 24997 व मुरुम 8384 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.30 हेक्टेयर, खसरा 19/1 भाग, ग्राम घुटिया, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

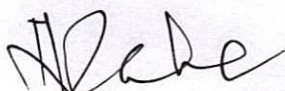
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 601वी बैठक दिनांक 19.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

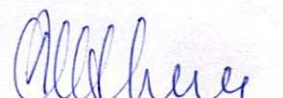

(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रायणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।
- VIII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

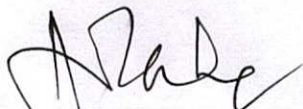

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XII. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार करना चाहिए।
- XIII. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु विशेष तौर से पीएम 10 एवं पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु समुचित उपायों की जानकारी का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये। इसके साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के समीपस्थ सतही नालों के समुचित संरक्षण हेतु कार्ययोजना तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 9345/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश कुमार महूले आत्मज श्री स्व. श्री रामदुलारे मउले, निवासी वार्ड नं. 15, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 21 पार्ट, ग्राम पाराशवाडा चौक, तहसील नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

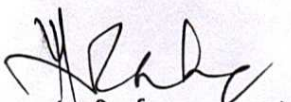
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 601वी बैठक दिनांक 19.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

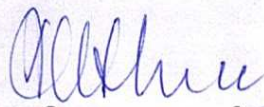

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर)- में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।
- VIII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

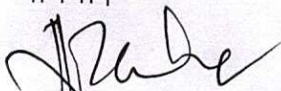
- XII. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार करना चाहिए।
- XIII. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 9346/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती ममता पत्नी श्री मनोज, निवासी अमृत कॉलोनी, गांधी नगर, जिला महोबा (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 150000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 133 भाग, ग्राम सैला, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 601वी बैठक दिनांक 19.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

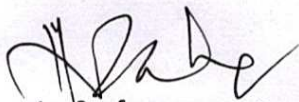
- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

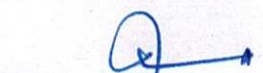

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा ।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएंगा ।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये ।
- VIII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा ।
- IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- XII. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार करना चाहिए ।
- XIII. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए ।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्टले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

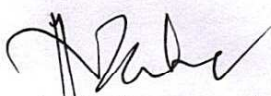
XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

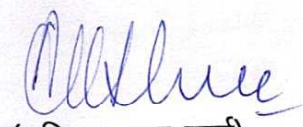
परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

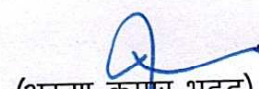
19. प्रकरण क्र. 9348/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री संजीव कुमार आत्मज श्री सत्येन्द्र दीक्षित, निवासी एम.एस. 51, सेक्टर-डी, अलीगंज, जिला लखनऊ, (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 150000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 133 भाग, ग्राम सैला, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 601वी बैठक दिनांक 19.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

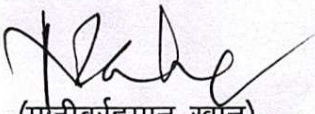

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

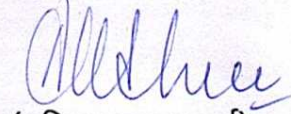

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

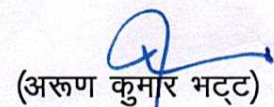

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 756वी बैठक दिनांक 17.11.2022
का कार्यवाही विवरण

- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पथर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।
- VIII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार करना चाहिए।
- XIII. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के उत्तर पश्चिम दिशा में 150 मीटर की दूरी पर आबादी से 50 मीटर तक नो माईनिंग जोन के रूप में संरक्षण हेतु कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का पीक पार्टिकल वैलोसिटी के साथ ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. 9359/2022 — परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जगाती माईनिंग कंपनी प्रा.लि., निवासी मकान नं. 07, पेपटेक टाऊन, नौगांव रोड़, जिला छतरपुर (उ.प्र.) द्वारा पत्थर व एम-सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1500000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 16.0 हेक्टेयर, खसरा 2005, ग्राम गोयारा, तहसील गौरीहर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

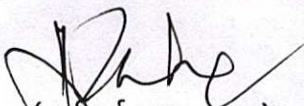
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 601वी बैठक दिनांक 19.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

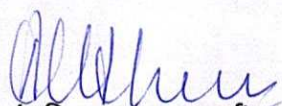
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

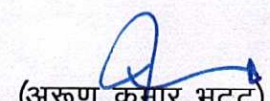
परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज में प्रस्तावित खदान की तीनों दिशाओं पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर में समीपस्थ आबादी तथा दक्षिण दिशा में खदान के अंदर से ग्रामवासियों के आवागमन हेतु कच्ची सड़क परिलक्षित हो रही है। इसके साथ ही खदान क्षेत्र जो कि एक पहाड़ पर स्थित है एवं इस क्षेत्र में वृक्ष भी परिलक्षित हो रहे हैं।

उपरोक्तानुसार क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत एवं वृहद स्तर पर प्रस्तावित खनन गतिविधि से समीपस्थ रहवासी क्षेत्र में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव संभावित होने के साथ-साथ क्षेत्र का प्राकृतिक परिवेश भी प्रभावित होगा जिसमें कि मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि, भूमि प्रदूषण के साथ ही ब्लास्टिंग के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त चूंकि प्रस्तावित खदान में उत्पादन क्षमता अधिक होने के कारण खनिज निकासी व परिवहन के दौरान समीपस्थ रहवासी क्षेत्र में तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

चूंकि प्रस्तावित खदान प्राकृतिक रूप से निर्मित पहाड़ी क्षेत्र है, अतः खनन गतिविधि के कारण पर्यावरण तथा स्थानीय रहवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के दृष्टिगत तथा प्राकृतिक रूप से निर्मित इस लैंडस्केप को संरक्षित रखे जाने हेतु पर्यावरण स्वीकृति के ToR आवेदन को निरस्त किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

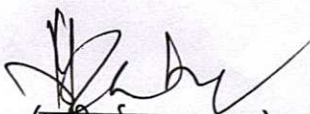

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

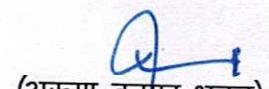

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिजपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनिज पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माइनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनिज पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

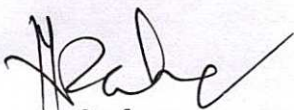

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा।
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष